# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 19/2022

| आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1<br>14/11/22 | उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 15/2021 दिनांक 04/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) चांदनी देवी उम्र 30 वर्ष पति प्रमोद साहु (2) प्रमोद साहु उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 घनश्याम साहु दोनो ग्राम गिरजा टांगरटोली थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) हरिश कंसारी उम्र 20 वर्ष पिता सुरेन्द्र कंसारी (2) सुरेन्द्र कंसारी उम्र 48 वर्ष (3) जितेन्द्र कंसारी उम्र 39 वर्ष दोनें पिता स्व0 दयतारी कंसारी सभी ग्राम कंसारी मुहल्ला थाना पालकोट जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।<br><br>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :–<br><br>वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है, उभय पक्ष न्यायालय के बाहर अपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनाम दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित ।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बसिया(गुमला)।<br><br>Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM<br>Date: 2024.08.24 14:17:34 +05:30<br>Location: 192.168.1.6 | |